Machine Translated by Google

चेक संग्रहण नीति

परिचय

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को सबसे पारदर्शी तरीके से सेवा प्रदान करने और उन्हें सबसे किफायती दरों पर आधुनिक तकनीक से संचालित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अपनी ऊर्जा समर्पित करना है। इसके अलावा, हमारे पास समर्पित पेशेवरों की एक टीम है जो ग्राहक सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए पूरे दिल से अपने प्रयासों को समर्पित करती है।

बैंक का लक्ष्य समाज के सबसे निचले तबके को सर्वोत्तम उत्पादों के साथ सर्वोत्तम मूल्य पर सेवा प्रदान करना और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी-संचालित ग्राहक सेवा प्रदान करना है, साथ ही राष्ट्रीय उद्योग के लिए एक आदर्श नियोक्ता बनना और लघु बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक रोल मॉडल के रूप में उभरना है। बैंक की यह चेक संग्रह नीति दर्शाती है

हमारा दृष्टिकोण बैंक के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना और ग्राहक सेवा के लिए उच्च मानक निर्धारित करना है।

उद्देश्य

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की यह चेक संग्रह नीति अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। यह नीति ग्राहकों के उपचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- भारत के भीतर स्थित केंद्रों पर स्थानीय रूप से देय चेकों और अन्य लिखतों का संग्रहण
- लिखतों के संग्रहण के लिए समय मानदंडों के संबंध में बैंक की प्रतिबद्धता
- उन मामलों में ब्याज के भुगतान की नीति जहां बैंक वसूली के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है
  बाहरी उपकरणों की आय का
- पारगमन में खोए गए संग्रह उपकरणों से निपटने की नीति
- सममूल्य पर देय चेक बुक जारी करने के संबंध में नीति
- गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों के समाशोधन के संबंध में नीति
- बार-बार चेक अनादरित होने वाले ग्राहक खातों के प्रबंधन पर नीति

परिभाषा

आहर्ता (Drawee) - एक कानूनी और बैंकिंग शब्द है जिसका उपयोग उस पक्ष का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे जमाकर्ता द्वारा चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

आदाता - एक्सचेंज में वह पक्ष है जो भुगतान प्राप्त करता है।

आहर्ता - वह चेक/ड्राफ्ट/साख पत्र बनाने वाला व्यक्ति होता है जो आहर्ता (बैंक) को आदाता को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है।

भुगतानकर्ता - वह व्यक्ति है जो भुगतान करता है।

MICR - का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कागज़ के दस्तावेज़ों, खास तौर पर चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। खास स्याही, जो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होती है, का इस्तेमाल मूल दस्तावेज़ों पर कुछ खास अक्षरों की छपाई में किया जाता है।

Machine Translated by Google

सीटीएस - सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) चेक की भौतिक गति को रोकने और चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और संबंधित एमआईसीआर लाइन द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है।

ग्रिड क्लियरिंग - ग्रिड क्लियरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो बैंकों को एक शहर में सेवा शाखा के माध्यम से एकल क्लियरिंग हाउस में कई शहरों से/के लिए चेक प्रस्तुत/प्राप्त करने की अनुमति देती है।

संग्रह की व्यवस्था

स्थानीय चेक

स्थानीय चेक क्लियरिंग हाउस के अधिकार क्षेत्र में देय हैं और केंद्र में प्रचलित क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। स्थानीय चेक से उत्पन्न क्रेडिट शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की चेक संग्रह नीति (सीसीपी) में बताए अनुसार ग्राहक के खाते में दिया जाएगा।

एसएसएफबीएलटी शाखा काउंटरों पर और शाखा परिसर के अंदर संग्रह बक्सों में जमा किए गए चेक
निर्दिष्ट कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

नीति के अनुसार, बैंक उसी दिन ग्राहक के खाते में राशि जमा कर देगा जिस दिन समाशोधन निपटान होगा, जो सामान्यतः बिना किसी विस्तार के T+1 होता है। जमा की गई राशि की निकासी की अनुमति इस प्रकार होगी
क्लियरिंग हाउस के चेक वापसी कार्यक्रम के अनुसार। जिन केंद्रों पर कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है, वहां स्थित बैंक शाखाएं, काउंटर पर आहर्ता बैंकों/नामित क्लियरिंग हाउसों पर स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगी और बैंक का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द आय को जमा किया जाए।

सीबीएस के अंतर्गत सभी आहर्ता बैंकों के चेक, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, किसी भी केंद्र पर बिना किसी शुल्क के संग्रहण के लिए स्वीकार किए जाएंगे।

बैंक की किसी भी शाखा द्वारा आवक समाशोधन में प्राप्त सभी चेकों को सममूल्य माना जाएगा तथा ऐसे चेकों को डेबिट करने के लिए खातों पर समाशोधन शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

बाहरी चेक

कोई भी चेक जो स्थानीय रूप से संग्रहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर उसे प्रस्तुत किया गया है वह सीटीएस ग्रिड से जुड़ा नहीं है तथा आहर्ता बैंक की वहां कोई शाखा नहीं है, उसे बाहरी चेक माना जाएगा।

ऐसे चेक नीचे बताए गए तरीकों में से किसी एक के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे:

- चेक उस स्थान पर देय है जहाँ SSFBLT की शाखा है - उपकरण SSFB की उस स्थान पर शाखा के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। बाहरी चेक के संग्रह के लिए TAT 10 व्यावसायिक दिन होगा

- चेक उस स्थान पर देय है जहाँ SSFBLT की कोई शाखा नहीं है, लेकिन वहाँ एक संवाददाता बैंक व्यवस्था है - साधन को संवाददाता बैंक की शाखा के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। बाहरी चेक के संग्रह के लिए TAT 14 व्यावसायिक दिन होगा

- चेक उस स्थान पर देय है जहाँ SSFBLT की न तो कोई शाखा है और न ही कोई संवाददाता बैंक व्यवस्था है - यह उपकरण सीधे भुगतानकर्ता बैंक शाखा को संग्रह के लिए भेजा जाएगा। बाहरी चेक के संग्रह के लिए TAT 14-28 व्यावसायिक दिन होगा

बाहरी चेक की परिभाषा में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, ब्याज वारंट और अन्य शामिल नहीं हैं।
बैंक पर ही लाभांश वारंट तैयार किया गया।

सीटीएस के क्रियान्वयन से, संग्रहण के लिए भेजे जाने वाले बाहरी चेकों की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां एक ही ग्रिड (मुख्य रूप से) के भीतर आहर्ता बैंक की कोई शाखा नहीं है

Machine Translated by Google

(जिला/एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में) चेक वसूली के लिए संबंधित ग्रिड सेवा शाखा को भेजे जाएंगे।

विदेशी देशों पर जारी चेक

विदेशी देश के लिखतों पर आहरित चेकों को "सर्वोत्तम प्रयास" के आधार पर वसूली के लिए स्वीकार किया जाता है।
बैंक ऐसे लिखत के शीघ्र संग्रह के लिए अपने संवाददाता बैंक के साथ विशिष्ट संग्रह व्यवस्था कर सकता है। बैंक संबंधित देशों में लागू कूलिंग अवधि पर विचार करने के बाद संवाददाता बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में आय जमा करने पर पार्टी को क्रेडिट देगा।

स्थानीय/बाहरी चेक की खरीद

बैंक अपने विवेकानुसार, ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रह के लिए प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक खरीद सकता है। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा, चेक खरीदते समय चेक जारी करने वाले की स्थिति भी एक कारक मानी जाएगी।

समाशोधन निलंबन के दौरान स्थानीय चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि की खरीद

जब भी समाशोधन स्थगित किया जाता है और यह आशंका होती है कि निलंबन लंबा हो सकता है, तो बैंक अपने ग्राहकों, उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं दोनों को अस्थायी रूप से सुविधा प्रदान करेगा, जहाँ तक संभव हो सके, स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि खरीदकर, जो संग्रह के लिए खातों में जमा किए गए हैं, सरकारी विभागों/ अच्छी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा वाली कंपनियों द्वारा निकाले गए चेकों और स्थानीय बैंकों पर निकाले गए डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सुविधा प्रदान करते समय, बैंक ग्राहकों की साख, ईमानदारी, पिछले लेन-देन और व्यवसाय जैसे कारकों को ध्यान में रखेगा, ताकि बाद में ऐसे उपकरणों के अनादर की किसी भी संभावना से खुद को बचाया जा सके।

स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों का तत्काल क्रेडिट

स्थानीय चेकों का तत्काल क्रेडिट नहीं दिया जाएगा क्योंकि बैंक का प्रयास है कि चेक की आय की वसूली में देरी न हो। जिन केंद्रों पर कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है, वहां काउंटर पर चेक प्रस्तुत किए जाएंगे और आय जल्द से जल्द जमा की जाएगी।

बैंक की शाखाएं/विस्तार काउंटर हमारे बैंक केंद्रों पर आहरित बाहरी चेकों/लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करेंगे, जिनका कुल मूल्य 15000/- रुपये (किसी भी समय प्रति खाते में बकाया अधिकतम सीमा) तक होगा, जो व्यक्तिगत खाताधारकों के संग्रह के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे खातों का कम से कम 6 महीने की अवधि तक संतोषजनक संचालन किया गया हो।

खाते के संतोषजनक संचालन, ग्राहक की ऋण-पात्रता और ग्राहक की आवश्यकता की वास्तविकता की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद शाखा प्रमुख के पूर्ण विवेक पर तत्काल जमा प्रदान किया जाएगा।

यह सुविधा ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/नकद ऋण खातों पर दी जाएगी। इस नीति के तहत, डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट जैसे प्रीपेड साधनों को चेक के बराबर माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर सामान्य संग्रह के अलावा एक निश्चित शुल्क के रूप में 250/- रुपये की राशि ली जाएगी।

इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक संतोषजनक ढंग से संचालित खाता वह होगा, जो निम्नलिखित सभी को पूरा करता है:

- कम से कम छह महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो
- जिसका संचालन संतोषजनक रहा है, और बैंक को कोई अनियमित लेन-देन नजर नहीं आया है
- जहां कोई भी चेक/उपकरण जिसके लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, वित्तीय ऋण के लिए बिना भुगतान के वापस नहीं आया।
  कारण

Machine Translated by Google

- जहां बैंक को अतीत में दी गई किसी राशि की वसूली में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ हो
  तत्काल क्रेडिट देने के बाद वापस किए गए चेक भी शामिल हैं
- कम से कम 6 महीने तक औसत मासिक शेष (एएमबी) बनाए रखने की शर्त

तत्काल ऋण भी निम्नलिखित मानदंडों के अधीन होगा:

- खाता भारतीय रुपए में होना चाहिए
- यह सुविधा ग्राहक को उसकी मूल शाखा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- चेक पोस्ट-डेटेड/पुराने/निकट डेट वाले नहीं होने चाहिए (समाशोधन में वापसी के जोखिम से बचने के लिए)।
  चेक की तिथि समाप्ति की तिथि से कम से कम 14 कार्य दिवस पुरानी होनी चाहिए
- खाता "निष्क्रिय" नहीं होना चाहिए
- आरबीआई अधिसूचना बीसी. 21/09.07.007/2002 के अनुसार, किसी भी समय, एक या एक से अधिक चेक/डीडी के लिए तत्काल जमा की राशि, पात्र खाते में
  15,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
  03 दिनांक 23 अगस्त, 2002
- चेक/डीडी का आंशिक तत्काल क्रेडिट नहीं होना चाहिए
- चेक ग्राहक का अपना चेक नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य खाते से जारी किया गया हो, अर्थात स्व-आहरणीय चेक नहीं होना चाहिए।
- घाटे, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी आदि की मात्रा पर विचार करते हुए तत्काल ऋण की नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।
  और ग्राहक मुद्दे

बाहरी चेकों के विलम्बित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

यदि उपर्युक्त समयावधि से अधिक समय तक ऋण देने में देरी होती है तो बैंक ग्राहक को संग्रहण लिखत की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा।

7/10/14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर, जैसा भी मामला हो, बाहरी चेकों के संग्रह में भुगतान की जाएगी। जहां देरी 14 दिनों से अधिक और 30 दिनों तक है, वहां संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

यह भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित उपकरणों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, सिवाय उन कारणों के जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हैं।

ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रहण के लिए भेजे गए लिखतों (भारतीय रुपये में आहरित) पर ही लागू होगा।

स्थानीय चेक प्रस्तुत करने में देरी (स्थानीय समाशोधन/सीटीएस के माध्यम से प्रस्तुत करने योग्य):

यदि यह साबित हो जाता है कि बैंक द्वारा स्थानीय समाशोधन लिखत प्रस्तुत करने में लिखत जमा करने के 2 कार्य दिवसों से अधिक का विलम्ब हुआ है, और जहां विलम्ब बैंक की आंतरिक प्रणालियों के कारण हुआ है न कि समग्र बैंकिंग प्रणाली के कारण, तथा यह विलम्ब अप्रत्याशित घटनाओं के कारण नहीं हुआ है, तो बैंक विलम्ब की अवधि के लिए विद्यमान बचत दर पर चेक राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा।

स्थानीय उपकरण:

- 7/10/14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर, जैसा भी मामला हो, संग्रह में भुगतान किया जाएगा।
  स्थानीय चेकों का
- जहां देरी 14 दिनों से अधिक और 30 दिनों तक है, वहां लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा
- असाधारण देरी, यानी 30 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा
  सावधि जमा के लिए दर भुगतान की तिथि तक 30 दिनों की अवधि के लिए लागू है
- यदि संग्रहण के अंतर्गत चेक की आय को ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया जाना था
  ग्राहक को ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा

Machine Translated by Google

पारगमन/समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान करने वाली बैंक शाखा में खोए गए उपकरण

यदि वसूली के लिए स्वीकार किया गया चेक या लिखत पारगमन में खो जाता है या समाशोधन प्रक्रिया में खो जाता है या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत खाताधारक के ध्यान में लाएगा ताकि खाताधारक रोक दर्ज करने के लिए चेक जारीकर्ता को सूचित कर सके।

वह लिखतों के विरुद्ध भुगतान करने में सक्षम होगा तथा यह भी ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा जारी किया गया चेक, यदि कोई हो, खोए हुए चेक के लिखतों की राशि जमा न किए जाने के कारण अनादरित न हो जाए।

पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या शाखा में खोए गए चेक के संबंध में, एसएसएफबी को तुरंत किसी भी माध्यम से खाताधारक के ध्यान में तथ्य लाना होगा, अर्थात लिखित रूप में, कॉल, एसएमएस या ईमेल द्वारा, ताकि खाताधारक भुगतान रोकने के लिए चेक जारीकर्ता को सूचित कर सके।

बैंक चेक/चेक के पारगमन में खो जाने या चेक के विलंबित समाशोधन के संबंध में ग्राहक को क्षतिपूर्ति करेगा, जैसा कि खंड 5.1 में चेक प्रस्तुति में देरी के बारे में उल्लेख किया गया है। बैंक ग्राहक को चेक जारीकर्ता से डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा।

बैंक पारगमन में खोए गए उपकरणों के संबंध में खाताधारक को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा:

- यदि साधन के खो जाने की सूचना ग्राहक को वसूली के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) के बाद दी जाती है, तो निर्धारित वसूली अवधि से अधिक अवधि के लिए बचत खाते पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, बैंक चेक की राशि पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।
  बचत बैंक दर में डुप्लीकेट चेक/उपकरण प्राप्त करने और उसके संग्रहण में होने वाली संभावित देरी के लिए प्रावधान किया जाएगा।

- बैंक ग्राहक को रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लिकेट चेक/इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने में लगने वाले किसी भी उचित शुल्क की प्रतिपूर्ति भी करेगा, यदि इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए शुल्क लेता है।

- बैंक भुगतान में देरी के कारण लगने वाले किसी भी उचित शुल्क के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति भी करेगा।
  रसीद प्रस्तुत करने पर खोए हुए चेक का क्रेडिट

अस्वीकृत चेक

चेक को तब सम्मानित माना जाता है जब बैंक आदाता को राशि दे देता है। जबकि, अगर बैंक आदाता को राशि देने से इनकार कर देता है, तो चेक को अनादरित माना जाता है। दूसरे शब्दों में, चेक का अनादर एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैंक आदाता को चेक की राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है।

अस्वीकृत चेक की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया

शाखा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्वीकृत प्रपत्रों को बिना किसी विलम्ब के, किसी भी स्थिति में एक कार्य दिवस के भीतर, खाताधारकों या जमाकर्ताओं को वापस कर दिया जाए या भेज दिया जाए।

चेक वापस आने की स्थिति में, SSFB द्वारा चेक वापसी ज्ञापन तैयार किया जाएगा जिसमें चेक वापस करने का कारण बताया जाएगा। अस्वीकृत चेक के साथ ज्ञापन आदाता/जमाकर्ता/खाताधारक को पंजीकृत डाक या स्थानीय कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा या टेबल के पार सौंप दिया जाएगा (रजिस्टर प्रक्रिया के मानकीकरण में परिभाषित अनुसार रजिस्टर पर रसीद प्राप्त करने के बाद)।

एसएसएफबी ग्राहक को उसके अंतिम उपलब्ध दर्ज पते पर अनादरित चेक लौटाएगा या भेज देगा। यदि एसएसएफबी की किसी अन्य शाखा द्वारा संग्रह पर चेक प्राप्त किया गया था, तो इसे अनादर की तारीख से 1 कार्य दिवस के भीतर चेक रिटर्न मेमो और सूचना के साथ भेजने वाली शाखा को भेज दिया जाएगा।

Machine Translated by Google

बार-बार होने वाले अपमान की घटनाओं से निपटना

बाहरी चेकों के बार-बार वापस आने के मामलों में, एसएसएफबी संबंधित ग्राहकों को पत्र भेजकर वापसी की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे सकता है।

- ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से खातों का परिचालन
  एक करोड़ रुपये मूल्य के चेक के अनादरित होने की स्थिति में यह शर्त लागू होगी।
  उपरोक्त चेक, चेककर्ता के किसी विशेष खाते पर चार बार आहरित किए गए तथा अन्य खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान 6 बार से अधिक चेक अनादरित किए गए।
  चेक बुक जारी नहीं की जाएगी और बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे खाते को बंद करने पर विचार कर सकता है
- हालाँकि, नकद ऋण खाता, ओवरड्राफ्ट खाता जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, आवश्यकता
  इन ऋण सुविधाओं को जारी रखने या न रखने के लिए तथा इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की समीक्षा मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से उच्चतर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।
- निम्नलिखित मामलों में ग्राहक को खाता बंद करने की चेतावनी एवं अनुरोध दिया जाएगा:
  - जिसमें एक वर्ष में तीसरी बार 1 करोड़ से अधिक मूल्य के चेक बाउंस हुए हैं
  - जहां एक करोड़ से कम मूल्य के चेक एक वर्ष में पांचवीं बार बाउंस हुए हों।

तकनीकी रिटर्न चेकों का पुनः प्रस्तुतीकरण और ऐसे रिटर्न के लिए शुल्क लगाना

यदि कोई चेक तकनीकी कारण से वापस आ जाता है और खाताधारक या जमाकर्ता की ओर से किसी कार्रवाई या हस्तक्षेप के बिना उसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, तो एसएसएफबी खाताधारक/जमाकर्ता को किसी एक माध्यम से - पत्र द्वारा, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से - सूचित करने के बाद चेक को पुनः प्रस्तुत करेगा।

तथापि, यदि कोई लिखत, आहरणकर्ता के खाते में धनराशि की उपलब्धता से संबंधित कारणों से या किसी तकनीकी कारण से वापस किया जाता है, जिसके लिए आहरणकर्ता या आदाता की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित होती है, तो एसएसएफबी, ऊपर अनुभाग 7.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, आदाता/जमाकर्ता/खाताधारक को चेक वापस कर देगा।

एसएसएफबी केवल उन मामलों में चेक वापसी शुल्क लगाएगा जहां वापसी का कारण या तो चेक जारीकर्ता या आदाता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि वापसी का कारण बैंक को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वापसी की एक उदाहरणात्मक सूची, जहां ग्राहकों की गलती नहीं है, अनुलग्नक-I में दर्शाई गई है।

सामान्य

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनादरित चेक से संबंधित किसी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात् अनादरित चेक का आदाता/धारक) की ओर से चेक अनादरित होने के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, बैंक पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा बैंक के परिचालन एवं विधि विभाग को सूचित करने के पश्चात ग्राहक को चेक अनादरित होने के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

अप्रत्याशित घटना

यदि कोई लेन-देन फलित नहीं होता है या पूरा नहीं हो पाता है या बैंक की ओर से इसके अंतर्गत परिकल्पित किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता होती है, यदि किसी अप्रत्याशित घटना (नीचे परिभाषित) के कारण निष्पादन में बाधा आती है या देरी होती है, तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसे मामले में उसके दायित्व अप्रत्याशित घटना की अवधि तक निलंबित रहेंगे।

"अप्रत्याशित घटना" का अर्थ बैंक के उचित नियंत्रण से परे किसी भी कारण से होने वाली कोई भी घटना है, जिसमें बिना किसी सीमा के, किसी भी संचार प्रणाली की अनुपलब्धता, प्रक्रियाओं या भुगतान या वितरण तंत्र में उल्लंघन या वायरस, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएँ या अन्य "ईश्वरीय कृत्य", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके संवाददाता बैंक(ओं) को नुकसान, नागरिक हंगामा, किसी भी प्रकार की हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, विद्रोह, युद्ध, सरकार के कार्य, कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर डेटा और भंडारण उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच, कंप्यूटर क्रैश, कंप्यूटर टर्मिनल में खराबी या

Machine Translated by Google

किसी दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड या प्रोग्राम, यांत्रिक या तकनीकी त्रुटियों/विफलताओं या बिजली बंद होने, दूरसंचार में खराबी या विफलता आदि से प्रभावित होने वाली प्रणाली, जो इसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है।

रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

क्लियरिंग टीम तिमाही आधार पर, अनादरित उपकरणों के संबंध में डेटा के लिए केंद्रीकृत एमआईएस को एकत्रित करेगी। डेटा को संबंधित व्यवसायिक वर्टिकल के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे संबंधित ग्राहकों से जुड़ सकें और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई कर सकें।

परिचालन प्रमुख, नीति में किए गए सभी संशोधनों को, यदि कोई हो, छमाही आधार पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

बैंक के परिचालन प्रमुख, बोर्ड की लेखापरीक्षा/पर्यवेक्षी समिति के समक्ष प्रत्येक तिमाही में चेकों के बार-बार अनादरित होने की घटनाओं और ऐसे खातों पर की गई कार्रवाई के संबंध में समेकित आंकड़े प्रस्तुत करेंगे।

धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एसएसएफबी का कोई भी कर्मचारी चेक में कोई विसंगति पाए जाने पर क्लियरिंग प्रभारी को रिपोर्ट करेगा। धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके द्वारा निर्धारित तरीके से तथा बोर्ड या बोर्ड की संबंधित घटक समिति को की जाएगी।

रिकॉर्ड रखना

एसएसएफबी सीटीएस समाशोधन के संबंध में भौतिक उपकरणों और जमा पर्चियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रूप से संरक्षित करेगा, जैसा कि बैंक की रिकॉर्ड प्रबंधन नीति में परिभाषित किया गया है। गैर-सीटीएस समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए चेक के मामले में, काउंटर पर और संग्रह पर भेजे गए, जमा पर्चियों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना होगा।
ग्राहक के साथ संबंध समाप्त होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए इसे बरकरार रखा जाएगा, ताकि ग्राहक लेनदेन का पुनर्निर्माण किया जा सके।

अनुबंध- मैं

आपत्तियों की सूची उदाहरणात्मक है, लेकिन संपूर्ण नहीं है, जहां ग्राहकों की कोई गलती नहीं है

कोड नहीं।	वापसी का कारण
33	उपकरण क्षतिग्रस्त है; बैंक गारंटी की आवश्यकता है
35	क्लियरिंग हाउस स्टाम्प/तारीख आवश्यक
36	गलत तरीके से वितरित/हम पर नहीं निकाला गया
37	उचित क्षेत्र में उपस्थित
39	चित्र स्पष्ट नहीं है; कागज़ के साथ पुनः प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	आइटम दो बार सूचीबद्ध
42	कागज़ प्राप्त नहीं हुआ

Machine Translated by Google

67	आदाता का अनुमोदन अनियमित है/ इसके लिए संग्रहणकर्ता बैंक की स्वीकृति आवश्यक है इसकी सूचना देने वाला
76	आवश्यक जानकारी पठनीय/सही नहीं है
82	बैंक/शाखा अवरुद्ध
84	अन्य कारण – कनेक्टिविटी विफलता
92	बैंक बहिष्कृत